जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 14 संख्याः 172 प्रभात चूरू, बुधवार 19 अक्टूबर, 2022 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

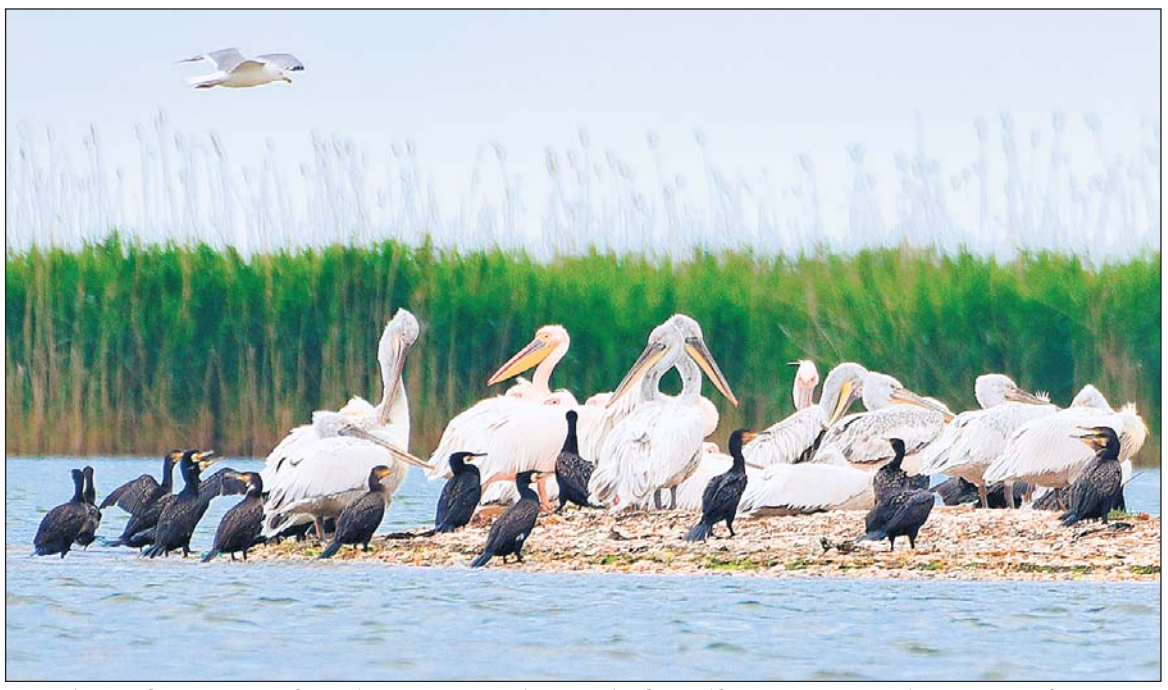

साउथ वैस्ट एल्बेनिया में व्लोरा के निकट है नार्ता लगून (मार्शलैंड), यहां डैल्मेशियन पैलिकन देखे जा सकते हैं। उड़ते समय अति भव्य नज़र आने वाले इन पक्षियों के पंखों का फैलाव लगभग एल्बैट्रॉस के पंखों जितना होता है। ये पक्षी इस स्थान पर प्रजनन नहीं करते, लेकिन यहाँ के जल कुण्डों में इनके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। बहुत से प्रवासी पक्षी भी अफ्रीका से मध्य और उत्तरी यूरोप जाते समय इस क्षेत्र में विश्राम के लिए रुकते हैं। ये मैडिटरेनियन के प्रमुख वैटलैण्ड्स हैं, जो पूर्व में एल्बेनिया के लगभग समूचे तटवर्ती भाग में फैले थे। लेकिन 1950 से 60 के दशक में एनवर होक्सा की तानाशाह सरकार ने मलेरिया का उन्मूलन करने और निचले भागों में खेती को प्रोत्साहन देने के लिए इन वैटलैण्ड्स का बड़ा भाग सुखा दिया। डैल्मेशियन पैलिकन्स यूरेशिया के अधिकांश भाग में मिलते हैं। तथापि, 20 सवीं सदी में, मार्शलैंड सुखाने, विकास हेतु इंसानी हस्तक्षेप व अवैध शिकार की वजह से इनकी आबादी में भारी कमी हुई। इंटरनैशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (आई.यू.सी.एन.) ने इन्हें "निअर थ्रैटन्ड" (खतरे के करीब) वर्ग में रखा है। कभी समूचे तटवर्ती भाग में मिलने वाले ये पक्षी 90 के दशक तक गायब हो गए थे। सन् 1991 में जब होक्सा के शासन का अंत हुआ तब जाकर हालात में बदलाव आने लगा। इन पक्षियों को कानूनी संरक्षण दिया गया। एल्बेनिया ऑर्निथॉलजिकल सोसायटी के प्रमुख, टॉलैंट बिनो ने वर्ष 2000 में जब इन पक्षियों के संरक्षण के लिए काम शुरु किया था तब डिवजाका-कारावास्ता नैशनल पार्क में इन पक्षियों के मात्र 19 घोंसले थे, फिर कानूनी संरक्षण से स्थिति और बिगड़ने से रुकी। सन् 2007 में उत्तर में शकुम्बिन नदी से लेकर दक्षिण की सेमन नदी तक समूचे क्षेत्र को नैशनल पार्क घोषित कर दिया गया। अब जनवरी से जून के बीच हर वर्ष यहां पैलिकन प्रजनन करते हैं। वर्ष 2020 में यहां पैलिकन के 85 जोड़ों ने घर बनाया था। लेकिन, अब फिर से पैलिकन को समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि, एल्बेनिया की सरकार ने व्लोरा में इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाने की अनुमति दे दी है। एयरपोर्ट के लिए चयनित स्थान संरक्षित क्षेत्र के अंदर है। यहां निर्माण कार्य शुरु होने से पैलिकन के लिए विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। हवाई मार्ग से प्रवासी पक्षियों का माइग्रेशन रुट भी प्रभावित हो सकता है।

गहलोत मंगलवार को देर शाम दिल्ली पहुंचे

बुधवार को नये निर्वाचित अध्यक्ष को सबसे पहले बधाई देने का "सौभाग्य" प्राप्त करने के लिये

- गहलोत ने सोनिया गांधी से भी मिलने का समय मांगा है, पर अभी 10, जनपथ, से कोई जवाब नहीं मिला है।
- गहलोत के भविष्य के बारे में जो निर्णय अध्यक्ष के चुनाव तक स्थगित कर दिया गया था, अब लेने की पूरी तैयारी है।
- यह ही स्थिति गहलोत के उन तीन समर्थकों की है, जिन्हें "नोटिस" दिया गया था। अब अनुशासन समिति के अध्यक्ष उनके स्पष्टीकरण के बारे में निर्णय लेंगे।
- विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने भी भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमण्डल को कहा कि, उन्हें 52 विधायकों के जो इस्तीफे प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में वे "एतिहासिक" निर्णय लेंगे, जो मिसाल कायम करेगा।
- गौरतलब बात है, वे केवल 52 इस्तीफे प्राप्त होने की ही बात कर रहे हैं।
- भाजपा का सोच है, अगर 52 विधायकों ने इस्तीफे दिये हैं, तो गहलोत सरकार अल्पमत में आ गयी है, अतः वे अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं, विधानसभा में।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देर शाम को दिल्ली पहुँच गये। उनका उद्देश्य कल मतगणना से पूरा होते ही, नये अध्यक्ष को सबसे पहले बधाई देने वाले व्यक्तियों में से एक होना है।

सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय माँगा है लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।

सूत्रों ने कहा कि अशोक गहलोत के बारे में लिया जाने वाला निर्णय, जिसे नये अध्यक्ष के चुनाव तक रोक दिया गया था, नये अध्यक्ष के साथ परामर्श के बाद लिया जायेगा।

एक निर्णय राजस्थान के उन तीन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बारे में भी लिया जाना है, जिन्हें अनुशासनहीनता के नोटिस भेजे गये थे। ज्ञातव्य है कि ये तीनों नेता अशोक गहलोत के निकटस्थ हैं। इन नेताओं ने अपने जवाब अनुशासन समिति के पास भेज दिये है तथा ए.के. एंटनी शीर्ष ही एक मीटिंग करेंगे तथा इस मामले में निर्णय लेंगे।

इस बीच, राजस्थान के स्पीकर सी.पी. जोशी ने बड़ी रोचक बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे उन्हें अपना त्याग पत्र देने वाले उन 52 विधायकों के त्याग पत्रों पर ऐसा निर्णय लेंगे, जो एक इतिहास बन जायेगा। यह बात उन्होंने भाजपा नेता राठौड़ से कही, जो एक भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ स्पीकर ने मिलने तथा यह कहने गये थे कि वे संबंधित विधायकों के इस्तीफों पर अपना निर्णय दे दें, जिससे भाजपा तदनुरूप कोई नया कदम उठाने के विषय में विचार कर सके। भाजपा की सोच यह हो सकती है कि अगर इन 52 विधायकों ने सचमुच इस्तीफे दे दिये हैं तथा गहलोत सरकार अल्पमत में आ जायेगी और फिर भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकती है।

इस समय तक की स्थिति यह है कि हर व्यक्ति पूरी तरह से तैयार है तथा अब राजस्थान में स्थिरता को वापस लाने के लिये नेतृत्व को निर्णय लेना ही होगा।

'जयललिता की मृत्यु की और गहराई से जांच की आवश्यकता'

सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने जयललिता की परम मित्र शशिकला, जयललिता के व्यक्तिगत डॉक्टर, तमिलनाडू के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री व तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव की भूमिका की भी गहरायी से जांच की राय दी

- अपोलो अस्पताल के चेयरमैन डॉ. प्रताप सी. रेड्डी की भी जांच की मांग की आयोग ने। क्योंकि, डॉ. रेड्डी समय-समय पर जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में प्रेस कॉन्फ्रैंस करके जानकारी देते थे, पर, जयललिता की मूल बीमारी के बारे में कुछ नहीं बोलते थे।आयोग ने कहा, यह संदिग्ध है और इसकी जांच होनी चाहिये।
- दूसरी ओर एम्स के डॉक्टरों की समिति, जिसका गठन जांच आयोग की मदद करने के लिये किया गया था, ने अपोलो अस्पताल व उनके संचालकों को "क्लीन चिट" दी है।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री तथा ए.आई.ए.डी.एम.के. (अन्नाद्रमुक) प्रमुख जे. जयललिता की लगभग छः साल अस्पताल में भर्ती रहने के बाद हुई मृत्यु अभी तक रहस्य बनी हुई है तथा इस सिलसिले में उनकी "धर्म बहिन" (सोल सिस्टर) तथा नजदीकी सहायक वी.के. शशिकला, उनके निजी चिकित्सक, तमिलनाडु के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव की भूमिका की नये सिरे से जाँच किये जाने की जरूरत है।

सितम्बर-दिसम्बर 2016 में, जब अपोलो अस्पताल में जयललिता का इलाज चल रहा था, तब भी इस पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ था तथा उनके इलाज को लेकर भी अफवाहों का दौर चल रहा था तथा यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिर उन्हें बीमारी क्या है। यह रहस्य इतना जोर पकड़ रहा था कि डी.एम.के. (द्रमुक) के दिग्गज नेता तथा पार्टी प्रमुख रहे स्व.एम. करुणानिधि ने जयललिता की बीमारी तथा उन्हें दिये जा रहे इलाज पर श्वेत पत्र की माँग की थी।

अब चूँकि जाँच आयोग ने शशिकला तथा अन्नाद्रमुक सरकार के एक प्रमुख मंत्री की कथित भूमिका की गहन जाँच की जरूरत बताई है, इसलिये यह तो तय है कि यह मुद्दा राज्य के आगामी चुनावों में जरूर उठेगा। द्रमुक द्वारा इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया जाना सुनिश्चित है। अन्नाद्रमुक सरकार के एक प्रमुख मंत्री की कथित भूमिका की गहन जाँच की जरूरत बताई है, इसलिये यह तो तय है कि यह मुद्दा राज्य के आगामी चुनावों में जरूर उठेगा। डी.एम.के. द्वारा इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया जाना सुनिश्चित है। अन्नाद्रमुक में अन्दर भी पूर्व अन्नाद्रमुक नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम इस मुद्दे का दोहन करेंगे। ज्ञातव्य है कि जयललिता की मृत्यु के बारे में दिये गये स्पष्टीकरणों पर उन्होंने एक बार गंभीर आपत्ति दर्ज कराई थी तथा विस्तृत एवं गहन जाँच की माँग की थी।

जस्टिस अगुमुगा स्वामी कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में उन चार मुख्य व्यक्तियों की भूमिका की जाँच किये जाने की माँग की है, जिन्हें रिपोर्ट में दोषपूर्ण माना गया है।

जस्टिस अगुमुगा स्वामी कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ने वी.के. शशिकला,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरानी का बचाव?

- गोवा के एडवोकेट एरीज़ रॉड्रीगस ने आरोप लगाया है, कि गोवा सरकार ने स्मृति ईरानी के परिवार को क्लीन चिट देने के लिए एक्साइज़ नियमों में संशोधन कर दिया और एक्साइज़ लाइसैंस ट्रांसफर की अनुमति दे दी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। गोवा सरकार ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार की मदद के लिये गोवा एक्साइज़ रूल्स में चुपचाप संशोधन कर दिया है। गोवा के एडवोकेट एरीज रॉड्रिग्ज़ के अनुसार, गोवा सरकार ने यह कदम, गोवा के गाँव असागाँव में चल रहे "सिली सोल्स कैफे एण्ड बार" के ईरानी के परिवार के व्यवसाय की मदद के लिये उठाया है। एडवोकेट रॉड्रिग्ज़ ने इस व्यवसाय के कानून-विरोधी बिन्दुओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस के दौरान "विरोध प्रदर्शन" भी!

प्रदर्शनों की शृंखला, एक प्रोफेसर द्वारा बीजिंग के पुल पर हस्तलिखित बैनर लगाने से शुरू हुई

- सरकार द्वारा लगाई गई सख्त पाबंदियों व सैंसरशिप के बावजूद, विश्व विख्यात न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने चीन में कई जगहों पर धरने प्रदर्शन शुरू होने की खबरें दी हैं।
- प्रदर्शनों से यह साबित हुआ कि, बीसवीं कांग्रेस की गतिविधियाँ सहज तरीके से शांति से नहीं चल पा रहीं, जैसा कि, सरकार व पार्टी दावा कर रही थी।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। बीजिंग में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस चल रही है, जिसमें मौजूदा सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अप्रत्याशित रूप से एक अभूतपूर्व कार्यकाल मिलने की उम्मीद है, हालांकि मौजूदा नियम तीसरे कार्यकाल का निषेध करते हैं, इधर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं।

ये विरोध प्रदर्शन राजधानी में हुई एक घटना के बाद शुरु हुए जिसमें युनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने राजधानी के एक पुल पर हस्तलिखित बैनर लगा दिए और फिर पुल पर आग लगा दी और धुंआ उठते देखा गया।

विरोधी स्पष्ट रूप से मौजूदा राष्ट्रपति का ज़ीरो कोविड पॉलिसी के बारे में अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों की गतिविधियां सीमित कर दी गई हैं और किसी भी विरोध को बहुत कठोरता से दबा दिया जाता है। प्रशासन इस कदर आतंकित है कि किसी भी खबर के प्रकाशन या आलेख को कुछ खास शब्दों के उल्लेख पर भी इन्टरनैट सैंसर कर दिया जाता है।

चीन में सैंसर शिप बहुत कठोर व दमनात्मक है। इसके तहत खबरों में या आलेखों में कुछ शब्दों के उल्लेख मात्र पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में किसी भी न्यूज या आलेख में "ब्रिज" शब्द का उल्लेख नहीं हो सकता है कि क्योंकि उक्त प्रोफेसर ने पुल पर ही अपना विरोध प्रदर्शित किया था।

बैनर्स में कहा गया है भोजन दो प्रतिबंध नहीं। इनमें भारी लॉकडाउन की बजाय आज़ादी और अपनी बात कहने का अधिकार मांगा गया है। पार्टी कांग्रेस में शी को एक और कार्यकाल मिलने की उम्मीद है, जिसकी परिणती उन्हें आजीवन राष्ट्रपति बनाए रखने में होगी।

इससे पहले यह स्थिति चीन के सबसे शक्तिशाली नेता माओत्से तुंग की थी उनकी मौत के बाद देंग सियाओ पिंग राष्ट्रपति बने थे उन्होंने चीन को नई सुधारवादी दिशा दी और नियम बनाया कि किसी भी नेता को दो कार्यकाल ही मिल सकते हैं। यह परम्परा अभी तक जारी थी और अब शी आजीवन राष्ट्रपति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समान कानून

- पूरे देश में समान कानून और आचार संहिता लागू करने के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पीछे हट रही लगती है। कोर्ट में सरकार ने कहा कि, वो संसद को ऐसा कानून पारित करने की हिदायत नहीं दे सकती है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। केन्द्र सरकार समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) को बनाने के मामले में मंगलवार को चालबाजी से काम लेते हुये बच निकली। केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कह दिया कि वह संसद को ऐसा कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती।

केन्द्र की ओर से, केन्द्रीय विधि मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पी.यू.सी.एल. ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कई सवाल उठाये

'प्रो. साईबाबा के रिहाई के आदेश को निरस्त करने की सुप्रीम कोर्ट की निर्णय की प्रक्रिया गैर वाजिब है'

- पी.यू.सी.एल. का कहना है कि, शनिवार को न्यायालय की असाधारण बैठक बुलाना "गैर वाजिब" लगता है, क्योंकि ऐसी बैठक तभी बुलायी जाती है, जबकि, वह किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर मसला हो तथा कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा हो।
- पी.यू.सी.एल. ने यह भी कहा कि, जब भावी मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड़ यह राय दे चुके थे कोर्ट में कि, प्रो. साईबाबा की रिहाई का बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश किसी भी सूरत में निरस्त नहीं किया जाना चाहिये, तो फिर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित द्वारा विशेष बैंच गठित करके रिहाई के आदेश को निरस्त करना, चौंकाने वाला निर्णय है।
- पी.यू.सी.एल. ने यह सवाल भी उठाया कि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्निकल खामी के कारण, सैशन कोर्ट के प्रो. साईबाबा को सज़ा सुनाने के आदेश को निरस्त किया।
- पर, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त किया। क्या इसका मतलब यह है कि, तथाकथित "अरबन नक्सलियों" को तकनीकी खामी के कारण कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगी। क्या यह अनुचित नहीं है?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। द पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज़ (पी.यू.सी.एल.) ने चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) उदय उमेश ललित द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा की रिहाई के विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई किए जाने को लेकर मंगलवार को सवाल खड़े किए। इस अपील का निस्तारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच की शनिवार को एक असाधारण मीटिंग हुई जिसमें रिहाई पर रोक लगाई गई।

पी.यू.सी.एल. ने कहा कि आगामी 9 नवम्बर को सी.जे.आई. बनने जा रहे जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता के कहने के बावजूद शनिवार को विशेष सुनवाई से इंकार कर दिया था और यह बात खुली अदालत में कही थी कि यदि महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सोमवार को सुनवाई हो भी जाए तब भी साई बाबा की रिहाई पर स्टे नहीं लगाया जा सकता।

पी.यू.सी.एल. ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सी.जे.आई. ललित ने जस्टिस चन्द्रचूड़ के रूख पर ध्यान क्यों नहीं दिया और अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह और बेला त्रिवेदी की एक विशेष बैंच के समक्ष अंतिम शनिवार को प्रकरण की सुनवाई करवाई ताकि हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगवाया जा सके।

उसने ध्यान दिलाया कि नियमित कार्य दिवसों के अलावा असाधारण सुनवाई की मंजूरी तभी अपवाद स्वरूप दी जाती है जबकि प्रकरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खतरा आसन्न हो या किसी गंभीर संवैधानिक संकट पर कोर्ट के त्वरित हस्तक्षेप की जरूरत हो।

पी.यू.सी.एल. ने कहा कि चिंताजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सक्षम कोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बैंच) के रिहाई आदेश पर स्टे लगा दिया। उसने कहा कि जब सरकार एक असाधारण प्रक्रिया अपनाकर रिहाई के न्यायिक आदेश पर रोक सुनिश्चित करती है तो इससे "कानून के शासन" के मूल ढांचे को ही गंभीर चुनौती मिलती है। उसने प्रश्न किया कि यू.ए.पी.ए. के तहत दोषी पाए गए किसी व्यक्ति को क्या कभी अपील कोर्ट से रिहाई का लाभ मिलेगा।

उसने भारत के संवैधानिक न्याय क्षेत्र और अपराध के मूल आशयों की बात कही। यह वास्तविकता कि, देश की शीर्ष अदालत का यह आदेश एक नज़ीर है और रिहाई आदेशों पर स्टे लगवाने का दबाव डालने को लेकर यह राज्यों का हौंसला बुलंद करेगा और इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को चुनौती पेश करेगा।

पी.यू.सी.एल. ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया था जो बहुत ही निष्पक्ष था और जिसमें निचली अदालत की दोष सिद्धि को अनुचित माना गया था। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गढ़चिरोली के विशेष यू.ए.पी.ए. सत्र न्यायालय ने कहा था आरोपी-6-जी.एन. साईबाबा के लिए आजीवन कारावास पर्याप्त दण्ड नहीं है और इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं कि वैधानिक रूप से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डार्क वैब और ड्रग माफिया

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने एमिकस क्यूरे शोएब आलम की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार से ड्रग रैकेट और डार्क वैब से हो रहे ड्रग ट्रेड पर जवाब मांगा।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय-मित्र एडवोकेट शोएब आलम की 900 पृष्ठों की उस रिपोर्ट पर केन्द्र से जवाब माँगा है, जो भारत के ड्रग माफिया तथा ड्रग के लाने ले जाने के खतरों के बारे में है।

आलम ने अपनी रिपोर्ट में इन्टरनेट के डार्क वैब का भी जिक्र किया है, जिस पर ड्रग्स का ऑर्डर दिया जाता है तथा उनका भुगतान वैकल्पिक मुद्रा "क्रिप्टो करैंसी" में कर दिया जाता है तथा कूरियर्स के जरिये, वे संबंधित जगह पहुँचा दी जाती हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि यह माँग और पूर्ति का मामला

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)